न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।
पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

**अपील सं. 04/2019**

उनवान

1. मोतीराम पुत्र छगनाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. हनुमानराम पुत्र छगनाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

**––अपीलान्ट**

बनाम

1. शिवराम पुत्र कानीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खारी चारणान, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं0 1 कोलायत।
3. प्रबन्धक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्राम खारी चारणान तहसील कोला जिला बीकानेर।

**––रेस्पोडेन्टान**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध ओदश दिनांक 04.02.2013 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत।

उपस्थिति–

अपीलांट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, जगदीश आचार्य

रेस्पोडेन्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री रामचन्द्र सिंह भाटी

**निर्णय दिनांकः–** 16.10.2024

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.05.2022 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 12.12.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में गुणावगुण के निर्धारण से पूर्व रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण के निर्देश दिये है। जिसकी पालना में उभय पक्षों की बहस को सुना गया। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति का इस आशय का पेश किया गया कि प्रश्नगत अपील न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध की गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम ग्राम लुम्बासर में खसरा नं0 126/43 में 50 बीघा भूमि आवंटन से गैर खातेदार कृषि भूमि थी जिसकी राजस्व विभाग से खातेदारी प्राप्त कर 25 बीघा भूमि अपीलाण्टान को विक्रय कर दी जिससे प्रार्थी के नाम 25 बीघा भूमि शेष रही जो राजस्व रिकार्ड संवत् 2062 तक दर्ज है तथा संवत् 2063 में नई खसरा गिरदावरी तहरीर करते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम हटा दिया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने विक्रय के बाद शेष रही 25 बीघा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के लिए वाद न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के समक्ष पेश किया जिसमें भी विक्रय की गई भूमि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर द्वारा दिनांक 04.02.2013 को किये गये निर्णय में भी उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में 25 बीघा भूमि की समस्त राशि खजाना राज जमा कराई जाकर खातेदारी जारी की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा विक्रित भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद पेश नहीं किया गया है, ना ही विक्रित भूमि विवादित है। अतः उक्त निर्णय व

डिक्री दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है साथ ही अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध अपीलांट का लोकस स्टेण्डाई नहीं होने एवं अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमावें।

अपीलांटगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्राथमिक आपति के जवाब में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को केवल पेपर पर खसरा नं0 126/43 में 50 बीघा आवंटन हुआ था, मौके पर उक्त खसरा नं0 126/43 में 25 बीघा भूमि ही कब्जा काश्त में थी। 25 बीघा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए जो अपीलांटगण को बैय कर दी गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कब्जा काश्त में शेष कोई भूमि नहीं रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उपनिवेशन तहसील एवं पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई केवल रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कथनानुसार आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में गैर कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांटगण को जो भूमि बैचान की हुई है उस पर पुनः 25 बीघा को 50 बीघा 'टेम्पर विद' कर रिकार्ड में 25 बीघा के स्थान 50 बीघा भूमि गलत अंकन करवाया उसी के आधार पर गलत खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। इसलिए अपीलांटगण को अपील पेश करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांटगण के मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के काउण्टर में कोई जवाब व शपथ पत्र पेश नहीं किया है। इसमें यह विदित हैं कि अपील अन्दर मियाद पेश की हैं। कानून में विधि विरूद्व आदेश के विरूद्व अपील में मियाद अधिनियम कोई बाधा पैदा नहीं करता। मियाद बिन्दू कंडोन के समर्थन में निम्न नजीरें पेश हैं :–

2002 RRD Page 37 ( H.C,) 2011 RRD Page 11 ( H.C,) जिसमें निम्न केस रेफरड हैं AIR 1975 S.C. 2085, AIR 1979 Delhi 26, AIR 1975 Mad. 137, AIR 1985 Patna 148, 1985 I Scc page 1963, 1998-7-Scc 193, 2002 (3) Scc 195 2009 Scc P-689

अधीनस्थ न्यायालय की आड़ में नामान्तरण सं0 775 के कॉलम सं0 4 में 25 बीघा भूमि खसरा नं0 43/06 में थी। जिसे कॉलम सं0 10 व 11 में 50 बीघा (टेम्पर विद) कर दी गई है। जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. करानी चाहिए। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अपीलांट का जब 25 बीघा भूमि बैय की गई तब खसरा नं0 43/06 में 25 बीघा भूमि मौके पर थी। उसका बैयनामा का कब्जा देने के बाद कोई भी शेष नहीं थी। नामान्तरण सं0 775 गलत स्वीकृत हुआ है जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 को उसे निरस्त करवाना चाहिए अपीलांट के रिकार्ड में कांट छांट कर आधा हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थे। मौके पर 25 बीघा भूमि अपीलांट की है जिसके रिकार्ड में 50 बीघा कर आधा–आधा हिस्सा गलत अंकन है। सम्पूर्ण कार्यवाही अनियमितता में की गई है।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आंशिक छायाप्रति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2031–2034 में खसरा नं0 126/43 के सम्वत् 2032 में रामचन्द्र पुत्र शंकरदास को आवंटन 29.09.1978 के नाम दर्ज है। आंशिक छायाप्रति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2035–2038 में खसरा नं0 126/43 शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण का नाम ईन्तकाल सं0 186 के माध्यम से 25 बीघा भूमि का खातेदार दर्ज है। आंशिक छायाप्रति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2039–2042 में सम्वत् 2040 तक शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण के नाम 25 बीघा दर्ज थी जो सम्वत् 2041 में ईन्तकाल सं0 370 दिनांक 14.07.1984 के माध्यम से मोतीराम, हड्मानराम पि0 छगनाराम जाति कुम्हार साकिन रारीसर के नाम 25 बीघा दर्ज हुई। आंशिक छायाप्रति

नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2043 2046 में खसरा नं0 126/43 मोतीराम, हनुमानराम पि0 छगनाराम कौम कुम्हार साकिन सरीसर के नाम 25 बीघा भूमि दर्ज है। आंशिक छायापति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2047 2050 में खसरा नं0 126 43 की 25 बीघा भूमि मोतीराम, हनुमानराम पि0 छगनाराम कौम कुम्हार साकिन सरीसर तहसील नोखा खातेदार दर्ज है। साथ ही खसरा नं0 126 43 1 की 25 बीघा का अंकन कर सम्वत् 2049 में शुद्धि पत्र दिनांक 27.02.1993 के आधार पर शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण के नाम का अंकन किया गया है। आंशिक छायापति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2051 2054 में खसरा नं0 126 43 की 25 बीघा भूमि मोतीराम, हनुमानराम पि0 छगनाराम कौम कुम्हार साकिन सरीसर तहसील नोखा खातेदार दर्ज है। खसरा नं0 126 43 1 की 25 बीघा का अंकन शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण के नाम खातेदार है। आंशिक छायापति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2055 2056 में खसरा नं0 126/43 की 25 बीघा भूमि मोतीराम, हनुमानराम पि0 छगनाराम कौम कुम्हार साकिन सरीसर तहसील नोखा खातेदार दर्ज है। और खसरा नं0 126/43 की 25 बीघा भूमि शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण के नाम खातेदार दर्ज है। आंशिक छायापति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2057 2059 मे खसरा नं0 126/43 की 25 बीघा भूमि मोतीराम, हनुमानराम पि0 छगनाराम कौम कुम्हार साकिन सरीसर तहसील नोखा खातेदार दर्ज है। खसरा नं0 126/43 की 25 बीघा भूमि शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण के खातेदार दर्ज है, साथ ही सम्वत् 2058 में रहन इन्तकाल सं0 518 रेस्पो0 सं0 1 शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खारी चारणान का नोट भी अंकित है।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के निर्णय दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा खसरा नं0 126/43 में 25 बीघा भूमि अपीलांटगण को बेचान कर दी गई जिस पर अपीलांटगण खातेदार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर ने उपनिवेशन तहसीलदार एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के बिना रिकार्ड में अंकन किये जाने का एक तरफा आदेश विधिसम्मत नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध फार्म सं0 3 के संलग्न मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नं0 126/43 में 25 बीघा भूमि थी, जो वर्तमान खसरा नं0 43/06 में 25 बीघा भूमि ही दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर प्रथम बीकानेर में प्रस्तुत दावा खसरा नं0 126/43 में 50 बीघा का किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न रेस्पोडेन्ट सं0 1 शिवराम पुत्र कानीराम ब्राहमण खारी के नाम दिनांक 29.09.1975 को ग्राम लुम्बासर के खसरा नं0 43 में 50 बीघा के आवंटन आदेश की फोटो कॉपी लगी है, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है। पत्रावली के संलग्न गिरदावरियों का अवलोकन करने पर विदित हुआ कि आंशिक छायाप्रति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2031 2034 में खसरा नं0 126/43 के सम्वत् 2032 में रामचन्द्र पुत्र शंकरदास को आवंटन दिनांक 29.09.1978 के नाम दर्ज है। आंशिक छायाप्रति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2035 2038 में खसरा नं0 126/43 शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राहमण का नाम इन्तकाल सं0 186 के माध्यम से 25 बीघा भूमि का खातेदार दर्ज है। रेस्पो0 सं0 1 शिवराम पुत्र कानीराम को इन्तकाल सं0 186 के माध्यम से 25 बीघा भूमि का अंकन हुआ उसी समय आवंटन दिनांक 29.09.1975 के अनुसार 50 बीघा भूमि का इन्तकाल में अंकन हेतु सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। आंशिक छायाप्रति

नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुम्बासर सम्वत् 2039-2042 में सम्वत् 2040 तक शिवराम पुत्र कानीराम कौम ब्राह्मण के नाम 25 बीघा दर्ज थी जो सम्वत् 2041 में इन्तकाल सं0 370 दिनांक 14.07.1984 के माध्यम से मोतीराम, हड्डमानराम पि0 छगनाराम जाति कुम्हार साकिन रासीसर के नाम 25 बीघा दर्ज हुई। जो सम्वत् 2048 तक दर्ज रही के पश्चात् सम्वत् 2049 में शुद्धि पत्र 27.02.1993 के द्वारा रिकार्ड में खसरा नं0 126/43/1 का सृजन कर 25 बीघा भूमि शिवराम पुत्र कानीराम के नाम से अंकन किया गया। रेस्पो0 सं0 1 का नाम गिरदावरी सम्वत् 2041 से सम्वत् 2048 तक रिकार्ड में नहीं रहा। सम्वत् 2049 में शुद्धि पत्र 27.02.1993 के द्वारा रिकार्ड में खसरा नं0 126/43/1 का सृजन कर 25 बीघा भूमि शिवराम पुत्र कानीराम के नाम से अंकन किया गया का ऐसा कोई शुद्धि पत्र का आदेश पत्रावली में नहीं है। उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के पत्रांक 1136 दिनांक 22.07.2021 के अनुसार ग्राम लुम्बासर के मिसल बदोबस्त सम्वत् 2007 के अनुसार खसरा नं0 43 में 1224.25 बीघा मुमकिन व 4.40 बीघा गैर मुमकिन कुल तादादी 1228.65 बीघा दर्ज है कि जबकि खसरा नं0 43/06 में 25 बीघा रकबा के स्थान पर 50 बीघा करने पर खसरा नं0 43 की कुल भूमि 1249.25 बीघा मुमकिन व 4.40 बीघा गैर मुमकिन कुल 1253.65 बीघा हो जाती है। इस प्रकार खसरा नं0 43/06 में 25 बीघा भूमि बढ़ाई जाती है। तो मूल खसरे की मिसल बन्दोबस्त में अंकित भूमि से 25 बीघा भूमि अधिक हो जाती है। ग्राम लुम्बासर का खसरा नं0 43/06 मूल खसरा नं0 43 का ही बट्टा नम्बर है। पत्रावली के सलंग्न नामान्तकरण सं0 775 का अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि अपीलांटगण की भूमि में कॉलम सं0 04 में 25 बीघा को कॉलम सं0 11 में 50 बीघा करके अपीलांटगण व रेस्पो सं0 1 के नाम आधा–आधा हिस्सा दर्ज किया गया है। जिससे अपीलांटगण के हित प्रभावित होते है। अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांटगण के मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के काउण्टर में कोई जवाब व शपथ पत्र पेश नहीं किया है। कानून में विधि विरूद्व आदेश के विरूद्व अपील में मियाद अधिनियम कोई बाधा पैदा नहीं करता। मियाद बिन्दु कंडोन के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। जिस कारण अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के निर्णय दिनांक 04.02.2013 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए नियमानुसार विधिसम्मत न्याय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरविन्द्र कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेषन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर